



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-15102026-277182
CG-OR-E-15102026-277182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5399]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5399]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 13 सितंबर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 5613(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या 916, तारीख 24 फरवरी 2026, में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 738(अ) 19 फरवरी 2024 द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को ओड़ीशा राज्य के सम्बलपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, “सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए सरला के DN ग्रिड को जोड़ने के लिए संबलपुर सिटी के अंत से फ्लाईओवर (4.66 किमी)” के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालना के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् “धारित्रि” (ओड़ीआ- संबलपुर संस्करण) और “द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी – संबलपुर संस्करण) तारीख 10 मार्च 2026, को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की है की उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर एससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लियों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना “सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए सरला के DN ग्रिड को जोड़ने के लिए संबलपुर सिटी के अंत से फ्लाईओवर (4.66 किमी)” सम्बलपुर जिला ओड़ीशा राज्य के लिए अधिग्रहण किए जाने के लिए संरचना या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम : सम्बलपुर							
क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा/प्लॉट नं	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का किसम	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	संकरमा	81	79	10.070	0.610	चक	पद्मनी नाइक स्वा: संजीव कुमार नाइक, सुबा मकर नाइक, पुसासा पुझारी, अरुनभ नाइक पि: संजीव कुमार नाइक जा: ब्राह्मण बा: पटनायक पडा-संबलपुर
2	संकरमा	98/1214	78	0.770	0.005	चक	मानस कुमार पुरोहित, सूरज कुमार पुरोहित, सरोज कुमार पुरोहित पी: मुरारी प्रसाद पुरोहित, जा-ब्राह्मण, संकर्मा था-अईठापाली, संबलपुर
3	संकरमा	98/109	77	2.890	0.400	घरबारी	ज्योति अग्रवाल स्वा: दिलीप कुमार अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल पी: दिलीप कुमार अग्रवाल जा: वैश्य बा: पटनायकपडा, था टाउन, जी-संबलपुर
4	संकरमा	98/997	77/1771	0.050		घरबारी	राजन नरसिंघ राओ पि: राजनतातिया राओ जा: कम्माबारु बा: रामगडपडा बुढारजा था - अईठापाली जी-संबलपुर
5	संकरमा	98/1003	77/1776	0.050		घरबारी	बिरोना स्वा: बिरामु जा: कम्माबारु बा: रामगडपडा बुढारजा था - अईठापाली जी- संबलपुर
कुल :-					1.015		

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ में)
1	संकरमा	1.015
कुल (एकड़ में) =		1.015

[फा. सं. CE/C/IV/BBS/Sambalpur City-Sarla/Fly over/2nd Phase/20E]

एच. अनंतरमन, मुख्य अभियंता (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS**[East Coast Railway (Construction)]****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 13th September, 2026

NOTICE UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT, 1989

S.O. 5613(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organization), Notification number.738, dated the 19th February, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), Notification number.916, dated the 24th February, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Fly over from Sambalpur City end to connect the DN grid of Sarla to avoid surface crossing (4.66 Km)”** in Sambalpur District in the State of Odisha .

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely “DHARITRI” in Odiya (Sambalpur Edition), and “The New Indian Express” in English (Sambalpur Edition) Dated 10 March, 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely, **“Fly over from Sambalpur City end to connect the DN grid of Sarla to avoid surface crossing (4.66 Km)”** in Sambalpur District in the State of Odisha.

Name of District : Sambalpur							
SI. No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	Proposed Area in 20E (In Acre)	Kisam of Land	Tanent
1	Sankarma	81	79	10.070	0.610	CHAKA	Padmani naik Swa: Sanjib Kumar Naik, Suba Makar Naik, Pusasa pujhari, Arunbha Naik Pi: Sanjib Kumar Naik Ja: Brahman Ba: Patnaik Pada-sambalpur

2	Sankarma	98/1214	78	0.770	0.005	CHAKA	Manas Kumar Purohit, Suraj Kumar Purohit, Saroj Kumar Purohit Pi: Murari Prasad Purohit, Ja- Brahman, Sankarma Tha - Ainthapali, Sambalpur
3	Sankarma	98/109	77	2.890	0.400	GHARABARI	Jyoti Agrawal swā: Dilip Kumar Agrawal, Gaurav Agrawal, Shraddha Agrawal pi: Dilip Kumar Agrawal ja: Vaishya ba: Patnaikpada, Tha town, Ji-sambalpur
4	Sankarma	98/997	77/1771	0.050		GHARABARI	Rajana Narasingha Rao pi: Rajana Tatiya Rao ja: Kammavaru Ba: Ramgadpada budharaja tha -Ainthapali ji-Sambalpur
5	Sankarma	98/1003	77/1776	0.050		GHARABARI	Birona swā: Biramu Ja: Kammavaru Ba: Ramgadpada budharaja tha - ainthapali Ji-Sambalpur
Total =					1.015		

Sl. No.	Village Name	Area (In Acre)
1	Sankarma	1.015
Total (In Acre) =		1.015

[F. No. CE/C/IV/BBS/Sambalpur City-Sarla/Fly over/2nd Phase/20E]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con-II)